





## "छाया ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस" के रूप मनेगा वीएचएनडी

जौनपुर सूचि: : जनपद में बुधवार व शनिवार को मनाया जाने वाला ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वीएचएनडी) अब छाया ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह जानकारी परिवार नियोजन कार्यक्रम के नोडल अपर मुख्य विकित्साधिकारी (प्रीसीएमओ) डॉ राजीव कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में शासन से पत्र भी आया है। डॉ कुमार ने बताया कि छाया गोली एक नॉन हार्मोनल दवा है। महिलाएँ इसका प्रयोग गर्भ निरोध के लिए करती हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए अभी तक हर के पहले बुधवार व शनिवार को ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाया जाता रहा है। इसी में अब गर्भ निरोधक छाया गोली को जोड़ते हुए इसे छाया ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य टीकाकरण, पोषण एवं परिवार नियोजन के साथ भी प्रति लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में एनएम, आशा और अंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहयोग करती हैं। सामान्यतः यह आयोजन स्वास्थ्य उपकरणों, आगनबाड़ी केंद्रों, स्कूल, सार्वजनिक भवनों आदि पर मनाया जाता है। वीएचएनडी पर

### देश और संस्कृति को एक सूत्र में बांधती है हिंदी – प्रो पातंजलि

जौनपुर व्यूरो विश्वप्रकाश श्रीवास्तव: वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति सभागार में सोमवार को वेटमान परिषेक्ष्य में अनुवाद की भूमिका विषय पर संगीती का आयोजन किया गया। यह आयोजन भारतीय भाषा संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ और जनसंचार विभाग की ओर से किया गया। बताये गये अधिकारी ने अनुवाद का रूप में छाया वीएचएनडी के उन्नत उपर्युक्त विवरणों को जिले भर में छाया वीएचएनडी के रूप में मनाया जाएगा। परिवार नियोजन के साथ उपकरणों, आगनबाड़ी केंद्रों, स्कूल, सार्वजनिक भवनों आदि पर मनाया जाता है। जीवनीय उद्देश्य में एनएम, आशा और अंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहयोग करती हैं। सामान्यतः यह आयोजन स्वास्थ्य उपकरणों, आगनबाड़ी केंद्रों, स्कूल, सार्वजनिक भवनों आदि पर मनाया जाता है। वीएचएनडी पर

### गर्भपात का मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट का फैसला लीक होने से अमेरिका में 'भूकंप' जैसे झटके

नई दिल्ली एजेंसी: अमेरिका ने एक वेसाइट पॉलिटिकों कोम ने एक विस्कोटक खबर छायी है। इसमें बताया गया है कि गर्भपात की वैगानिकता के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने अपना निर्णय कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट बहुमत से 1973 के अपने उस फैसले को पलट देगा, जिसमें गर्भपात को लेकर काफी समझ से विवाद किया गया है। ये पहली सौकाहा है, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला सुनाए जाने के पहले ही मीडिया को लीक हो गया है। ये खबर आते ही देश भर के मीडिया में ये खबर छाया गई है। पॉलिटिकों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिस जेजे वेट नाम से जाना जाता है। पॉलिटिकों की वेटाया गया है कि गर्भपात की वैगानिकता के मामले में सुप्रीम कोर्ट को पलटने के पक्ष में निर्णय दिया गया। उनमें ये चार जेजे- क्लेयरेंस थॉमस, डॉ रजनीश भास्कर, डॉ नुपुर तिवारी, डॉ प्रमोद यादव, डॉ मुराद अली, डॉ श्याम कर्हैया, डॉ सुनील कुमार, डॉ दिव्यजय सिंह राठोर, डॉ अरवा विहारी सिंह, डॉ चंद्रेन सिंह, डॉ जान्हवी श्रीवास्तव, मंगला प्रसाद, डॉ पुनित धवन, प्रवीण सिंह, डॉ प्रमोद कौशिक, डॉ लक्ष्मी मोर्य, श्याम कर्हैया, सुशील प्रजापति, प्रमोद विश्वकर्मा तमाम लोग उपस्थित हुए।

### ली शपथ-न बाल विवाह होने देंगे और न ही बनेंगे भागीदार

जौनपुर व्यूरो विश्वप्रकाश श्रीवास्तव: जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार के नेतृत्व में सोमवार को बाल कल्याण समिति की बैठक हुई। इसमें लोगों ने बाल विवाह की रोकथाम के बारे में विचार-विमर्श किया साथ ही



तथा मार्च 2022 तक 78 पुरुष नसबंदी ही चुकी है। यह लक्ष्य से 205 प्रतिशत ज्यादा है। 10,000 वार्षिक महिला नसबंदी के लक्ष्य के सापेक्ष मार्च 2021 तक 11,636 तथा मार्च 2022 तक 10,273 महिला नसबंदी ही चुकी है। यह लक्ष्य से 103 प्रतिशत अधिक है। 11,000 वार्षिक इंट्रा यूटाइन कान्ट्रासेप्टिक डिवाइस (आयूर्सीडी) के लक्ष्य के सापेक्ष मार्च 2021 तक 5,556 आईयूसीडी तथा मार्च 2022 तक 13,401 आईयूसीडी का लाभार्थियों ने उपयोग कर लिया था जो कि लक्ष्य से 122 प्रतिशत अधिक है। 9,500 वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष मार्च 2021 तक 7,580 पोर्स्ट पार्टम इंट्रा यूटाइन कान्ट्रासेप्टिक डिवाइस (प्रीआईयूसीडी) तथा मार्च 2022 तक 15,091 पीपीआईयूसीडी का लाभार्थियों ने उपयोग कर लिया था। यह लक्ष्य की जांच एनएम करती है। बच्चों का वजन करने के साथ ही उनके गर्भ की जांच, ब्लड प्रेशर और गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की जांच एनएम करती है। बच्चों का वजन कर उन्हें पोषाहा वितरित किया जाता है। कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों का पोषण पुनर्वास केंद्र के लिए रेफर किया जाता है। क्या कहते हैं सीएमओ डॉ लक्ष्मी सिंह का बच्चे कहना है कि अपर लोगों को यांगूली के लिए जरूरत होती है तो उन्हें भी सीएचसी अधिकारी ने आयोजित पिछड़पन को बाल विवाह के कारणों में बारे में बताते हुए लोगों को यांगूल किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार ने आयोजित पिछड़पन को बाल विवाह के कारणों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि अक्सर गरीबी के कारण भी गांवों में बाल विवाह कर दिए जाते हैं। ऐसे लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं हो पाती और वह अपनी बच्चियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक मिश्र ने कहा कि बाल विवाह का नामनुन अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उस व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। निर्भय ट्रस्ट की शोभना ने गांवों में जानकारी नहीं हो पाती और वह अपनी बच्चियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक मिश्र ने सभी लोगों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती और वह अपनी बच्चियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक मिश्र ने कहा कि बाल विवाह का नामनुन अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उस व्यक्ति का मानसिक और अक्सर बच्चियों वाले द्वारा चलाई जाती है। बैठक को विदिा सहीयोग कर देते हैं। निर्भय ट्रस्ट की शोभना ने गांवों में जानकारी नहीं हो पाती और वह अपनी बच्चियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक मिश्र ने कहा कि बाल विवाह का नामनुन अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उस व्यक्ति का मानसिक और अक्सर बच्चियों वाले द्वारा चलाई जाती है। बैठक को विदिा सहीयोग कर देते हैं। निर्भय ट्रस्ट की शोभना ने गांवों में जानकारी नहीं हो पाती और वह अपनी बच्चियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक मिश्र ने कहा कि बाल विवाह का नामनुन अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उस व्यक्ति का मानसिक और अक्सर बच्चियों वाले द्वारा चलाई जाती है। बैठक को विदिा सहीयोग कर देते हैं। निर्भय ट्रस्ट की शोभना ने गांवों में जानकारी नहीं हो पाती और वह अपनी बच्चियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक मिश्र ने कहा कि बाल विवाह का नामनुन अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उस व्यक्ति का मानसिक और अक्सर बच्चियों वाले द्वारा चलाई जाती है। बैठक को विदिा सहीयोग कर देते हैं। निर्भय ट्रस्ट की शोभना ने गांवों में जानकारी नहीं हो पाती और वह अपनी बच्चियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक मिश्र ने कहा कि बाल विवाह का नामनुन अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उस व्यक्ति का मानसिक और अक्सर बच्चियों वाले द्वारा चलाई जाती है। बैठक को विदिा सहीयोग कर देते हैं। निर्भय ट्रस्ट की शोभना ने गांवों में जानकारी नहीं हो पाती और वह अपनी बच्चियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक मिश्र ने कहा कि बाल विवाह का नामनुन अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उस व्यक्ति का मानसिक और अक्सर बच्चियों वाले द्वारा चलाई जाती है। बैठक को विदिा सहीयोग कर देते हैं। निर्भय ट्रस्ट की शोभना ने गांवों में जानकारी नहीं हो पाती और वह अपनी बच्चियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक मिश्र ने कहा कि बाल विवाह का नामनुन अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उस व्यक्ति का मानसिक और अक्सर बच्चियों वाले द्वारा चलाई जाती है। बैठक को विदिा सहीयोग कर देते हैं। निर्भय ट्रस्ट की शोभना ने गांवों में जानकारी नहीं हो पाती और वह अपनी बच्चियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक मिश्र ने कहा कि बाल विवाह का नामनुन अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उस व्यक्ति का मानसिक और अक्सर बच्चियों वाले द्वारा चलाई जाती है। बैठक को विदिा सहीयोग कर देते हैं। निर्भय ट्रस्ट की शोभना ने गांवों में जानकारी नहीं हो पाती और वह अपनी बच्चियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक मिश्र ने कहा कि बाल विवाह का नामनुन अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उस व्यक्ति का मानसिक और अक्सर बच्चियों वाले द्वारा चलाई जाती है। बैठक को विदिा सहीयोग कर देते हैं। निर्भय ट्रस्ट की शोभना ने गांवों में जानक

